भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1398
दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतविहीन आवास

1398. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी, अविद्युतीकृत आवासों और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी, सभी गरीब परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरडीएसएस के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आरडीएसएस सभी नागरिकों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के देश के लक्ष्य को किस प्रकार पूरा करेगी;

(ङ) सरकार द्वारा आरडीएसएस के माध्यम से वितरण क्षेत्र में घाटे को कम करने के लिए निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या योजना है;

(च) आरडीएसएस कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और इस योजना को अपनाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(छ) आरडीएसएस के लिए कुल बजट आवंटन और इसमें भाग लेने वाले राज्यों के बीच वितरित किए जा रहे वित्त का ब्यौरा का है; और

(ज) आरडीएसएस योजना विद्युत कटौती को कम करने तथा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार लाने के संदर्भमें उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और देश के शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से दिनांक 31.03.2022 तक लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य के लिए कुल 5,89,242 घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रिड के माध्यम से क्रमशः 5,42,914 और 15,790 घर तथा ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 30,538 घर शामिल थे। सौभाग्य के तहत सभी संस्वीकृत कार्य पूरे हो चुके हैं और स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है। इसके अलावा, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 9,036 घरों के लिए विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

(ख) से (ज) : आरडीएसएस को भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वितरण यूटिलिटी का समर्थन करना है। वितरण क्षेत्र की प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए डिस्कॉम/विद्युत विभागों (पीडी) के साथ मिलकर काम करना ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम अवधि के अंत तक अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि को 12-15% तक कम करना तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच के अंतर को वर्ष 2024-25 शून्य तक लाना है।

आरडीएसएस का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) शामिल है। स्कीम की अवधि 5 वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 48 डिस्कॉम्स ने आरडीएसएस के अंतर्गत भाग लिया है।

किसी यूटिलिटी के लिए एटीएंडसी हानियां तथा एसीएस-एआरआर अंतर उसके निष्पादन के प्रमुख वित्तीय और प्रचालन संकेतक हैं। हानियों का सीधा असर नकदी प्रवाह पर पड़ता है और उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं को महंगी विद्युत आपूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर में कमी से इन यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे प्रणाली का बेहतर रखरखाव कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार विद्युत खरीद सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

इन हानियों से निपटने के लिए स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य पूर्व-अर्हता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखाओं और त्रैमासिक लेखाओं का समय पर प्रकाशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सब्सिडी और सरकारी विभागों की बकाया राशि का समय पर जारी करना, विनियामक परिसंपत्तियों का कोई नया सृजन नहीं करना, सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटरिंग, जेनको बकाया का समय पर भुगतान और टैरिफ एवं ट्रू-अप ऑर्डर का समय पर प्रकाशन शामिल है। परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के अंतर्गत उल्लिखित मापदंडों के निमित्त यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर, जिसमें प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के निमित्त उपलब्धि शामिल है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, सहायता को निष्पादन से जोड़ दिया गया है।

इसके अलावा, हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों (राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है) के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 2.78 लाख करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत अवसंरचना कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और अब तक लगभग 21.51% की वास्तविक प्रगति हासिल की जा चुकी है।

प्रस्तावित कार्यों के लिए डीपीआर वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की सिफारिश के बाद राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से उनके सामने आने वाले विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसे बाद में आरडीएसएस के तहत गठित निगरानी समिति द्वारा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। यूटिलिटी को हानि कम करने के कार्यों के लिए दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता अनुमोदित परियोजना लागत का 60% है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90%

तक सीमित है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मीटर लगाए जाने वाले फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए की गई अन्य पहलों में विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के नियम शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत विद्युत क्षेत्र सुधारों से जुड़े राज्यों को जीएसडीपी के 0.5% का अतिरिक्त उधार की व्यवस्था, यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा उधार देने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड आदि शामिल हैं।

किए गए विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटियों की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2013 में 25.5% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15.37% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2013 में 0.84 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.45 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति के घंटे वित्त वर्ष 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गए हैं। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों के लिए यह वित्त वर्ष 2014 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 23.4 घंटे हो गया है।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 1398

अनुबंध

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार लागत

राज्य/डिस्कॉम	मीटरिंग की संस्वीकृत लागत (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये में)	पीएमए सहित संस्वीकृत एलआर लागत (करोड़ रु. में)	स्वीकृत कुल परिव्यय (करोड़ रु.)	मीटरिंग कार्यों के स्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये में)	अवसंरचना (हानि न्यूनीकरण) कार्यों के लिए स्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये में)	पीएमए (इन्फ्रा+मीटरिंग) के साथ प्रोत्साहनों सहित जीबीएस को करोड़ रुपये में संस्वीकृति दी गई।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516	12	416	428
आंध्र प्रदेश	4,128	10,687	14,814	815	6,412	7,227
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226	54	938	992
असम	4,050	3,395	7,444	1,052	3,055	4,107
बिहार	2,021	8,406	10,427	412	5,044	5,456
छत्तीसगढ़	4,105	3,964	8,070	804	2,379	3,183
दिल्ली	13	324	337	2	194	196
गोवा	469	247	716	95	148	243
गुजरात	10,642	6,089	16,731	1,885	3,653	5,538
हरियाणा	0	6,797	6,797	0	4,078	4,078
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,115	466	2,094	2,560
जम्मू एवं कश्मीर	1,064	4,771	5,835	272	4,294	4,566
झारखंड	858	3,344	4,202	191	2,006	2,197
कर्नाटक	0	34	34	0	21	21
केरल	8,231	3,011	11,243	1,413	1,807	3,220
लद्दाख	0	876	876	0	788	788
मध्य प्रदेश	8,911	9,384	18,295	1,504	5,631	7,134
महाराष्ट्र	15,215	17,209	32,424	2,840	10,326	13,165
मणिपुर	121	615	737	38	554	592
मेघालय	310	1,232	1,542	86	1,109	1,195
मिजोरम	182	319	500	61	287	348
नागालैंड	208	461	668	60	415	474
पुदुचेरी	251	84	335	56	51	107
पंजाब	5,769	3,873	9,642	960	2,324	3,284
राजस्थान	9,715	17,427	27,142	1,686	10,456	12,142
सिक्किम	97	416	514	30	375	405
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803	3,398	5,741	9,139
तेलंगाना	0	120	120	0	72	72
त्रिपुरा	319	598	917	80	538	619
उत्तर प्रदेश	18,956	21,612	40,568	3,501	12,967	16,468
उत्तराखंड	1,106	1,717	2,823	310	1,545	1,855
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893	2,089	4,334	6,423
कुल योग	**1,30,671**	**1,47,635**	**2,78,306**	**24,173**	**94,050**	**1,18,224**

****